न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 10/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 11.1.2018
अन्तर्गत धाराः 75 (1) (एफ) राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. रामनारायण पुत्र मांगीलाल जाति खाती निवासी ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा।

...अपीलाट

बनाम

1 धनकंवर बाई पुत्री रामकिशन पत्नी पुरूषोतम जाति खाती निवासी खजूरी तह0 कनवास हाल निवासी म0 नं0 498 गणेश नगर कोटा–राज0।
2 मन्जू पत्नी गिरिराज पुत्री रामकिशन जाति खाती निवासी ग्राम विनोदकला तहसील सांगोद जिला कोटा।
3 राजेश पत्नी राजेश पुत्री रामकिशन जाति खाती नि0 ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा राज0।
4 स्व0 नेमीचंद पुत्र स0 मांगीलाल जाति खाती निवासी ग्राम खजूरी तह0 कनवास जरिये कायम मुकामान–
4/ए–लक्ष्मीबाई बेवा स्व0 नेमीचंद खाती
4/बी–दीपक कुमार उर्फ दीपू पुत्र स्व0 नेमीचंद खाती
4/सी–राखी पुत्री स्व0 नेमीचंद खाती नाबालिग जरिये संरक्षक माता लक्ष्मीबाई बेवा स्व0 नेमीचंद खाती
थनवासीगण के–102 जगतपुरा स्टेशन न्यू रेल्वे कॉलोनी जयपुर।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसील कनवास।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री महेन्द्र कुमार नागर अभिभाषक अपीलाट
श्री वीरेन्द्र कुमार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1

निर्णय

दिनांक 01.8.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार कनवास जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 21/एलआर/विरासत/बउनवान/रामनारायण वगेरा बनाम धनकुंवर आदि मे पारित निर्णय दिनांक 2.1.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) (एफ) अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने धनकंवरबाई द्वारा प्रस्तुत निगरानी निर्णय दिनांक 11.5.2016 से खारिज कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयो की पुष्टि की गई तथा पत्रावली न्यायालय तहसीलदार कनवास मे पुनः पक्षकारो को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त होने पर तहसीलदार कनवास द्वारा मृतका नाथीबाई बेवा रामकरण जाति खाती निवासी ग्राम खजूरी तहसील कनवास की वैध उत्तराधिकारी धनकुंवर जोजे पुरूषोतम जाति खाती निवासी ग्राम खजूरी तहसील कनवास होने से साबिक ख0 नं0 416 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा

नम्बर 1328 रकबा 1.27 है0 आराजी धनकुंवर के नाम यथावत राजस्व रिकार्ड मे कायम रखी जाने का दिनांक 2.1.2018 को तहसीलदार कनवास द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट रामनारायण द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई कि अपीलाधीन निर्णय पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के सर्वथा विपरीत व रेस्पो0 क्रम–1 धनकंवरबाई की ओर से एक पक्षीय रूप से प्रस्तुत बनावटी व मौखिक साक्ष्य पर ही आधारित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.4.2008 न्याया0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 6.11.2008 एंव राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.5.2016 मे दिये गये निर्देशो के पूर्णतः विपरीत है। तहसीलदार द्वारा मौखिक साक्ष्य के आधार पर धनकंवर बाई को मृतक नाथीबाई की गोद पुत्री होना मानकर नामान्तरकरण सं0 858 को षडयंत्र पूर्वक यथावत कायम रखे जाने की आज्ञा प्रदान करने मे गंभीर त्रुटि की है। तहसीलदार द्वारा नाथीबाई के वारिसान के संबध मे पटवारी खजूरी की रिपोर्ट दिनांक 13.2.2009 मौका रिपोर्ट 14.12.2010 तथा प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खजूरी दिनांक 6.1.2017 पर भी कोई ध्यान नही दिया गया। जबकि उक्त तथ्यो के आधार पर नामा0 सं0 858 खारिज कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक नाथीबाई के समस्त वारिसान के नाम फौती इन्तकाल दर्ज किया जाना चाहिये था। तहसीलदार कनवास द्वारा अपीलांट को प्रतिरक्षण करने का कोई अवसर नही दिया गया। धनकंवर बाई किसी भी दस्तावेज से नाथीबाई की गोदपुत्री होना प्रकट नही होता है। तहसीलदार/राजस्व न्यायालय को गोद पुत्री घोषित करने का क्षेत्राधिकार नही है ऐसी स्थिति मे तहसीलदार कनवास का जेरअपील आदेश अवैधानिक है। अतः तहसीलदार कनवास द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 2.1.2018 निरस्त किया जाकर उक्त वर्णित विवादित आराजी का फौती इंतकाल पटवारी हल्का एवं सरपंच पंचायत द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक अपीलांट सहित समस्त वारिसान के नाम तस्दीक किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा प्रकट किया कि रिमांडेंड केस है नामा0 सं0 858 धनकंवरबाई ने मृतक नाथीबाई की पुत्री बनकर खुलवाया है जबकि धनकंवर बाई नाथीबाई बेवा रामकरण की पुत्री नही है बल्कि धनकंवर बाई रामकिशन पुत्री है जो पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है। नामा0 सं0 858 के विरूद्ध अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा मे की गई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 21.4.2008 द्वारा नामा0 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को नाथी बाई के वारिसान की जांच कर दोनो पक्षो को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णित करने हेतु रिमांड किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध धनकवर बाई द्वारा अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त मे पेश की गई जो दिनांक 6.11.2008 को खारिज हो जाने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध निगरानी क्रमांक 1983/2008 माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे पेश की गई जो दिनांक 11.5.2016 को निरस्त किये जाने उपरांत तहसीलदार कनवास द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का समुचित परीक्षण किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जो अवैधानिक है। बहस मे आगे बताया कि पहले पुत्री बनकर नामा0 खुलवाया अब 10–15 वर्ष बाद गोदपुत्री बनकर आयी है तहसीलदार ने उक्त तथ्य पर गोर नही किया। गोदपुत्री घोषित करने का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही है ऐसी स्थिति मे जेरअपील निर्णय दिनांक 2.1.2018 विधि विरूद्ध तथा पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के सर्वथा विपरीत व रेस्पो0 क्रम–1 धनकंवरबाई की ओर से एक पक्षीय रूप से प्रस्तुत बनावटी व मौखिक साक्ष्य पर ही आधारित होने से निरस्तनीय है। अपने कथन के समर्थन मे हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 15–16 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय दिनांक 2.1.2018 अपास्त करने का अनुरोध किया।

अति० स० आयु०
कोटा

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 ने अपनी बहस मे बताया कि विवादित आराजी नाथीबाई को एलोट हुई है। रेस्पो0 कम–1 धनकवरबाई नाथीबाई की गोदपुत्री है अतः गोदपुत्री नही होने संबधी अपीलांट का कथन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमांड आदेश की पालना मे साक्ष्य/सबूतो एवं दस्तावेजो से की गई जांच के परिपेक्ष्य मे आधारहीन है। जेरअपील निर्णय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट को यदि किसी प्रकार की आपत्ति है तो रेगूलर वाद पेश करना चाहिये। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिसमे स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। अतः मे अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने धनकंवरबाई द्वारा प्रस्तुत निगरानी निर्णय दिनांक 11.5.2016 से खारिज कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयो की पुष्टि की गई है जिसके उपरांत न्यायालय तहसीलदार कनवास द्वारा पुनः पक्षकारो को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर मृतका नाथीबाई बेवा रामकरण जाति खाती निवासी ग्राम खजूरी तहसील कनवास की वैध उत्तराधिकारी धनकुंवर जोजे पुरूषोतम जाति खाती निवासी ग्राम खजूरी तहसील कनवास होने से साबिक ख0 नं0 416 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1328 रकबा 1.27 है0 आराजी धनकुंवर के नाम यथावत राजस्व रिकार्ड मे कायम रखी जाने का दिनांक 2.1.2018 को तहसीलदार कनवास द्वारा निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि तहसीलदार कनवास द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यो/साक्ष्य/दस्तावेजो का समुचित परीक्षण किये बगेर निर्णय पारित किया है जो अवैधानिक है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह भी तर्क है कि गोदपुत्री घोषित करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार कनवास/राजस्व न्यायालय को नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार कनवास द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहो के बयानो के आधार पर धनकुवर ही मृतका नाथीबाई की वैध वारिस होने से मृतका नाथीबाई बेवा रामकरण जाति खाती निवासी ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा के वैध उत्तराधिकारी धनकुवंर जोजे पुरूषोतम जाति खाती निवासी ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा होने से साबिक खसरा नम्बर 416 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1328 रकबा 1.27 है0 आराजी धनकुंवर के नाम यथावत राजस्व रिकार्ड मे कायम रखी जाने का दिनांक 2.1.2018 को निर्णय पारित किया है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपीलांट का उपरोक्त तर्क आधारहीन है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमे स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता है। अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट यदि किसी प्रकार व्यथित है तो रेगूलर वाद पेश कर अपने हक हकूको का निर्धारण कराने के लिये स्वतंत्र है। उक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 2.1.2018 मे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 01.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा